ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L0022011

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer*	*Signature of parties or pleaders where necessary*
01.03.13	आवेदक की ओर से श्री एम.सी. बड़जालियां उपस्थित । अनावेदक गण अनुपस्थित । विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन के समक्ष जो शिकायत आवेदक उपभोक्ता द्वारा की गई थी उस शिकायत में मुख्य सतर्कता अधिकारी को पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया था, जबकि शिकायत में विद्युत लाईसेंसी को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना चाहिए था । फोरम के आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने पर उक्त आवेदन की नस्ती में पारित आदेश दिनांक 10.12.12 के द्वारा विद्युत लाईसेंसी के प्रमुख अधिकारी अर्थात् प्रबंध निदेशक को पक्षकार के रूप में संयोजित किए जाने का आदेश दिया गया तथा पत्र क्रमांक 546 दिनांक 14.12.12 के द्वारा प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी किया गया, परन्तु उक्त नोटिस के बाद भी प्रबंध निदेशक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । आवेदक को सुना गया । आवेदक की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 18.11.10 को उसके परिसर का निरीक्षण कर जो पंचनामा बनाया गया था उस पंचनामे में 25 हार्सपावर भार से अधिक भार का उपयोग उपभोक्ता द्वारा किया जाना दर्शाया गया है और इसी आधार पर बढ़ी हुई दर के नाम से उसे विद्युत देयक जारी किया गया तथा उसे दी जाने वाली छूट समाप्त की गई जबकि पंचनामा की कण्डिका – 11 में उपभोक्ता द्वारा अंकित टीप के अनुसार 25 हार्सपावर से अधिक के भार का उपयोग नहीं किया जा रहा था। उपभोक्ता फोरम के समक्ष आवेदक की ओर से जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था उसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि दिनांक 18.11.10 को बनाया गया पंचनामा गलत है और 25 हार्सपावर से अधिक का जो भार दर्शाया गया है वह गलत है । परन्तु फोरम की नस्ती में पंचनामे की छायाप्रति संलग्न है, जिसकी कण्डिका – 11 में यह टीप अंकित है कि क्रमांक – 2, क्रमांक – 3 व क्रमांक – 4 के बेसेन फैन नग 2 तथा क्रमांक – 4 की लाईट कनेक्शन क्रमांक (2) 75 हार्सपावर पर कनेक्टेड हैं । इस टीप पर फोरम द्वारा विचार किया जाना नहीं पाया जाता है । यदि यह टीप सही है तो स्पष्ट है कि जो पंचनामा बनाया गया था वह गलत था और यदि पंचनामा गलत था तो ऐसे पंचनामे के आधार पर विद्युत ऊर्जा का जो देयक उपभोक्ता को दिया गया था वह प्रथमतः शून्य था और यदि पंचनामा सही था तब ऐसी स्थिति में फोरम द्वारा जो आदेश दिया गया था उस पर आपत्ति का कोई आधार नहीं है ।	

ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L0022011

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer*	*Signature of parties or pleaders where necessary*
01.03.13	<u>पूर्व पृष्ठ से निरन्तर</u> .... फोरम के आदेश का अवलोकन करने से पंचनामे की कण्डिका – 11 में गलत टीप के संबंध में विचार किया जाना नहीं पाया जाता है । इस पंचनामे में अंकित टीप के परिणाम पर ही उपभोक्ता की शिकायत का परिणाम निर्भर करता है । ऐसी स्थिति में मामले को पुनः फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाना उचित प्रतीत होता है कि वह विवादित पंचनामा दिनांक 18.11.10 की कण्डिका – 11 में अंकित टीप के संबंध में पुनः विचार कर पुनः आदेश पारित करें । अतः आवेदक उपभोक्ता का अभ्यावेदन स्वीकार किया जाता है । विद्युत शिकायत निवारण फोरम का प्रश्नगत् आदेश अपास्त किया जाता है । मामले को फोरम को पुनः इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि पंचनामा 18.11.10 की कण्डिका–11 में अंकित टीप पर विचार करते हुए उपभोक्ता की शिकायत का पुनः गुण–दोषों के आधार पर निराकरण किया जावे । आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए । विद्युत लोकपाल प्रतिलिपि : 1. आवेदक की ओर प्रेषित । 2. अनावेदक की ओर प्रेषित । 3. फोरम की ओर प्रेषित । विद्युत लोकपाल	